संख्याः–३६० / XVIII(II) / 2009–1(84) / 09

प्रेषक,

सुभाष कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
ऊधमसिंहनगर।

राजस्व अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांकः 16 नवम्बर, 2009

विषयः–मै0 श्रावन्थी ऐनर्जी प्रा0लि0, गुडगॉव, हरियाणा एन0सी0आर0 दिल्ली, को ग्राम खाई खेड़ा, तहसील काशीपुर जिला ऊधमसिंहनगर में गैस आधारित ऊर्जा परियोजना हेतु कुल 18.920 है0 भूमि क्रय की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–330 / सात–स0भू0आ0 / 09, दिनांक–07 सितम्बर, 2009 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल मै0 श्रावन्थी ऐनर्जी प्रा0लि0, गुडगॉव, हरियाणा एन0सी0आर0 दिल्ली, को ग्राम खाई खेड़ा, तहसील काशीपुर जिला ऊधमसिंहनगर में गैस आधारित ऊर्जा परियोजना हेतु कुल 18.920 है0 भूमि क्रय की अनुमति (उत्तराखण्ड) उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा–154(2) एवं उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एंव उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15–1–2004 की धारा–154(4)(3)(क)(v) के अन्तर्गत जिलाधिकारी, ऊधमसिंहनगर द्वारा संस्तुत खसरा संख्याओं एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन की संस्तुति के अनुसार निम्नलिखित शर्तो / प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैंः–

1– केता धारा–129–ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि कय करने के लिये अर्ह होगा।

2– केता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा–129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

.....2

10– आस्थान को विकसित करने हेतु विभिन्न विभागों जैसे तेल एवं प्राकृतिक गैस, वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्व विभाग, अग्निशमन विभाग, ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन आदि से वांछित विभिन्न स्वीकृति/अनुमति/अनुमोदन/अनापत्ति आदि जो भी वांछित औपचारिकताएं अपेक्षित होंगी वह प्रवर्तक/कम्पनी द्वारा स्वयं पूर्ण की जायेगी।

11– संस्था द्वारा स्थापित किये जाने वाले उद्योग में उत्तराखण्ड मूल के बेरोजगारों को न्यूनतम 70 प्रतिशत से अधिक का नियमित रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

12– सम्बन्धित आवेदक द्वारा भू–उपयोग करने से पूर्व सक्षम एजेन्सी (विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विकास प्रोधिकरण) से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करनी होगी तभी वह भूमि का उपयोग निर्धारित कार्य हेतु कर सकेगे।

13– किसी भी दशा में प्रस्तावित केताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एंव सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो इसके लिये भूमि कय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।

14– भूमि का विकय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एंव ऐसी दशा में विकय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

15– योजना प्रारम्भ से पूर्व नियमानुसार ऊर्जा विभाग एवं अन्य सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं से विधिक व अन्य अनापत्तियॉ/स्वीकृतियॉ प्राप्त कर ली जायेगी।

16– उपरोक्त प्रतिबन्धों/शर्तो का पूर्णतः अनुपालन न होने पर तथा भिन्न उपयोग करने, उल्लंघन हाने की दशा में अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया इस सम्बन्ध में तद्नुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुभाष कुमार)
प्रमुख सचिव।

पृ0प0सं0– ३८००८।/संमदिनांकित/2009

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

.....4

1– मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि शासनादेश के उद्योग विभाग से सम्बन्धित समस्त बिन्दुओं का कियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
3– सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4– सचिव, श्रम एव सेवायोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5– आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
6– निदेशक, उद्योग, इन्ड्रस्ट्रियल इस्टेट, पटेलनगर, देहरादून।
7– सदस्य सचिव, उत्तरखण्ड पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून।
8– महाप्रबन्धक, परियोजना श्रावन्थी ऐनर्जी प्रा0लि0, कारपोरेट कार्यालय, तृतीय तल, राईडर हाऊस, 136 सेक्टर–44 गुडमॉव, एन0सी0आर0 दिल्ली।
9– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, सचिवालय।
10– प्रभारी मीडिया केन्द्र, सचिवालय।
11– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव।